न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :—सुदर्शन सिंह तोमर आर.ए.एस., कार्यावाहक जिला कलक्टर धौलपुर

अपील (प्रकरण) संख्या :— 11/2022 जीसीएमएस न0 2022/23

उनवानी प्रकरण :—

बचन सिंह पुत्र श्री सोनू जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहिमपुर तहसील बाडी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर 1/2 भाग तह0 बाडी जिला धौलपुर ——— अपीलान्ट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर ———————— रेस्पोडेन्ट।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 विरूद आदेश जिला रसद अधिकारी धौलपुर दिनांक 10.02.2022

उपस्थिति :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री महेन्द्रसिंह गुर्जर अभिभाषक।
रेस्पोडेण्ट की ओर से :— श्री गजेन्द्र बावू शर्मा, जिला रसद अधिकारी धौलपुर

निर्णय दिनांक 29.06.2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 10.02.2022 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि:— अपीलान्ट ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर तहसील बाडी के 1/2 भाग का उचित मूल्य दुकानदार है तथा उसका प्राधिकार पत्र संख्या 24/06 है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो जॉच रिपोर्ट अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर बावत दिनांक 25.10.2021 तैयार की गई है वह बिना किसी ठोस आधार के मनमानीपूर्ण तरीके से तैयार की गई है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट के तहत जा फर्द मौका तैयार किया गया है वह अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 के बाद तैयार की गई है जो कानूनन उचित व न्याय संगत नहीं है और इस फर्द मौका पर जिन लोगों के हस्ताक्षर कराये है इसके अतिरिक्त प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 के तहत कुल 42 किता गवाहान के द्वारा वयान लिया जाना बताया है उनके वयान नहीं लिये गये वल्कि वास्तविकता यह है कि गवाहान के कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये एवं वाद में वयान लिखे गये है तथा अपीलार्थी द्वारा उनको सही समय राशन दिया गया है एवं राशन लेने के उपरान्त भी उन कोरे कागजों पर प्रवर्तन निरीक्षक ने गलत रूप से बयान दर्ज

करते हुये प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा गलत रूप से जांच रिपोर्ट तैयार की गयी एवं ऐसी गलत जॉच रिपोर्ट व फर्द मौका के आधार पर आदेश अन्तर्गत अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अहम तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है जो अपास्त किये जाने योग्य है। इस बावत शपथपत्र भी संलग्न है। आदेश अन्तर्गत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 04 बिन्दु अंकित किये गये है जिनमें अपीलार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकान के राशन वितरण बावत अनियमितता होना अंकित किया गया है जबकि ऐसे आधारों में अंकित कोई भी अनियमितता अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई है। जिन 42 उपभोक्ताओं को अपीलार्थी द्वारा राशन वितरण करना नहीं अंकित किया गया है उन सभी उपभोक्ताओं द्वारा अपीलार्थी से राशन प्राप्त किया गया लेकिन कुछ लोग अपीलार्थी से पार्टीवाजी व चुनावी रंजिश रखते है इसलिये रंजिश के कारण उन्होने गलत रूप से झूंठे बयान दिये गये है। ऐसे झूंठे वयानों के आधार मान कर तैयार की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी गलत रूप से आदेश पारित कर अपीलार्थी के अनुज्ञापत्र को निलम्बित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश के पैरा संख्या–02 के बावत निवेदन है कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपीलार्थी से जो दस्तावेज व रजिस्टर मांगे गये वह सब दस्तावेज अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये तभी तो प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सत्यापन में 26 क्वि0 गेहू होना व तथाकथित गेहूं वितरण होना अपनी जांच रिपोर्ट में किया है। जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा राजनैतिक द्वेषभाव के कारण जांच रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है जिसके आधार पर आक्षेपित आदेश जेर अपील गलत रूप से पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। आदेशन्तर्गत अपील में अधीनस्थ न्यायालय ने जो अन्य आधार अपीलार्थी द्वारा अनियमितता किये जाने के सम्बध में अंकित किये गये है वे विभिन्न राशन कार्ड होल्डरों को राशन वितरण नहीं करना बतया है यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा राशनकार्ड धारकों के कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये एवं उन पर बाद में वयान दर्ज किये गये है सभी उपभोक्ता अपीलार्थी की दुकान से राशन प्रतिमाह समय ले गये है। अपीलार्थी को आक्षेपित आदेश से पूर्व किसी भी प्रकार के नोटिस की कोई तामली नहीं हुई एवं कथित प्रकरण व जांच रिपोर्ट की प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आक्षेपित आदेश जेर अपील पारित किया कर कानूनी भूल की है। आक्षेपित आदेश जेर अपील न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत पारित किया गया होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.02.2022 अपास्त किया जावे ।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के साथ अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2022 की प्रमाणित प्रति, आदेश दि0 26.10.2021 की प्रमाणित प्रति, शपथ पत्र श्यामसुन्दर पुत्र सुघरसिंह, शपथ पत्र छोटे पुत्र गनपति, सुरेश जाटव पुत्र भोगीराम जाटव एवं कार्यालय ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर का पत्र दिनांक 24.2.22 पेश किये है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री गजेन्द्र बावू शर्मा,जिला रसद अधिकारी धौलपुर स्वंय उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर अपील की पत्रावली के साथ संलग्न की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को आक्षेपित आदेश से पूर्व किसी भी प्रकार के नोटिस की कोई तामली नहीं हुई एवं कथित प्रकरण व जांच रिपोर्ट की प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आक्षेपित आदेश जेर अपील पारित कर कानूनी भूल की है। आक्षेपित आदेश जेर अपील न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत पारित किया गया होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 तैयार की गई है वह बिना किसी ठोस आधार के मनमानीपूर्ण तरीके से तैयार की गई है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट के तहत जो फर्द मौका तैयार किया गया है वह अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 के बाद तैयार किया गया है। जो कानूनन उचित व न्याय संगत नहीं है और इस फर्द मौका पर जिन लोगों के हस्ताक्षर कराये है इसके अतिरिक्त प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 के तहत कुल 42 किता गवाहान के द्वारा वयान लिया जाना बताया है उनके वयान नहीं लिये गये वल्कि वास्तविकता यह है कि गवाहान के कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये एवं वाद में वयान लिखे गये है इस सम्बध में शपथ पत्र श्यामसुन्दर पुत्र सुघरसिंह, शपथ पत्र छोटे पुत्र गनपति एवं सुरेश जाटव पुत्र भोगीराम जाटव का साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश किये है। अपीलार्थी द्वारा उक्त उपभोक्ताओं को सही समय राशन दिया गया है एवं राशन लेने के उपरान्त भी उन कोरे कागजों पर प्रवर्तन निरीक्षक ने गलत रूप से बयान दर्ज किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 04 बिन्दु अंकित किये गये है जिनमें अपीलार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकान के राशन वितरण बावत अनियमितता होना अंकित किया गया है जबकि ऐसे आधारों में अंकित कोई भी अनियमितता अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई है। जिन 42 उपभोक्ताओं को अपीलार्थी द्वारा राशन वितरण करना नहीं अंकित किया गया है उन सभी उपभोक्ताओं द्वारा अपीलार्थी से राशन प्राप्त किया गया लेकिन कुछ लोग अंपीलार्थी से पार्टीवाजी व चुनावी रंजिश रखते है इसलिये रंजिश के कारण उन्होने गलत रूप से झूंठे बयान दिये गये है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित श्री गजेन्द्र बावू शर्मा, जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत की जॉच प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर की गई है। ग्राम कुदिन्ना का पुरा में जाकर उपभोक्ताओं से राशन वितरण सम्बधी पूछताछ एवं बयान लिये गये है। अपीलार्थी द्वारा राशन वितरण में गंभीर अनियमितताऐं कर कुल 31.30 क्वि. उपभोक्ताओं को अप्राप्त तथा भौतिक सत्यापन 273.91क्वि. गेहूं कम प्राप्त होने पर कुल 305.21 क्वि. गेहूं का गवन कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंधन करने पर कार्यालय के आदेश दिनांक 26.10.21 निलंबित किया गया। अपीलार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितताऐं करने पर अपना जबाव पस्तुत करने हेतु कार्यालय द्वारा नोटिस क्रमांक 131 दिनांक 26.10.21 जारी किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर पर नोटिस की विधिवत तामील होने के बावजूद भी उसके द्वारा नोटिस का जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा राशन वितरण में गंभीर अनियमितताऐं प्रमाणित मानते हुये उसका प्राधिकार पत्र आदेश दिनांक 10.2.22 से निरस्त किया गया है। आदेश दिनांक 10.02.2022 सही है इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.02.2022 यथावत रखा जावे ।

हमने दोनों पक्षों की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन है कि आक्षेपित आदेश से पूर्व किसी भी प्रकार के नोटिस की कोई तामली अपीलार्थी पर नहीं हुई एवं कथित प्रकरण व जांच रिपोर्ट की प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत पारित किया गया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी धौलपुर से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन करने ये जाहिर होता है कि कार्यालय जिला रसद अधिकारी धौलपुर के कमांक 131 दिनांक 26.10.2021 से अपीलार्थी श्री वचनसिंह को जबाव पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया है परन्तु उक्त नोटिस की तामील अपीलार्थी पर नहीं हुई है। नोटिस पर अपीलार्थी के प्राप्ति के कहीं हस्ताक्षर नहीं है। इसी प्रकार कमांक 368 दिनांक 10.2.2022 से अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया है परन्तु उक्त नोटिस की भी तामील अपीलार्थी पर नहीं हुई है। उक्त नोटिस पर भी अपीलार्थी के प्राप्ति के कहीं हस्ताक्षर नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त नोटिसों की तामील अपीलार्थी पर नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस की तामील कराये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का यह भी कथन है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 के तहत कुल 42 किता गवाहान के द्वारा वयान लिया जाना बताया है उनके वयान नहीं लिये गये वल्कि गवाहान के कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये एवं वाद में वयान लिखे गये है इस सम्बध में शपथ पत्र श्यामसुन्दर पुत्र सुघरसिंह, शपथ पत्र छोटे पुत्र गनपति एवं सुरेश जाटव पुत्र भोगीराम जाटव का साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश किये है जिसमें उन्होने यह अंकित किया है कि "रसद विभाग के अधिकारी ने करीव 30–40 आदमियों के कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे उनके बयान नहीं लिये थे"। अपीलार्थी द्वारा उक्त उपभोक्ताओं को सही समय राशन दिया गया है एवं राशन लेने के उपरान्त भी उन कोरे कागजों पर प्रवर्तन निरीक्षक ने गलत रूप से बयान दर्ज किये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना एवं पत्रावली पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेंषित किया जाता उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.2.2022 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें । निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों ।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिंह तौमर)
कार्यवाहक जिला कलक्टर धौलपुर

जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)